

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास-वाणिज्य/2019 दिनांक 29.09.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क्रम	नाम व्याख्याता श्री/श्रीमती/सुश्री	पद एवं पदस्थापन स्थान	संशोधन
1	राजेन्द्र प्रसाद मीना	व्याख्याता-इतिहास राउमावि थलवार- जालोर	मूल पदस्थापन स्थान राउमावि थलवार-भरतपुर के स्थान पर राउमावि थलवार जालोर संशोधित
2	हरि सिंह	व्याख्याता-इतिहास राउमावि गोस्वा केकडी अजमेर	वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि गोस्वा करौली के स्थान पर राउमावि गोस्वा केकडी अजमेर संशोधित
3	हरिशंकर	व्याख्याता-इतिहास राउमावि पांथेडी-जालोर	कॉलम 3 में वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि पांथेडी जोधपुर के स्थान पर राउमावि पांथेडी-जालोर संशोधित
4	योगेश कुमार मीणा	व्याख्याता-इतिहास राउमावि इन्द्रगढ बूंदी	कॉलम 3 में वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि बूंदी के स्थान पर राउमावि इन्द्रगढ बूंदी संशोधित
5	कृष्ण कुमार मीणा	व्याख्याता-इतिहास पूर्व पदस्थापन दरिवा प्रोजेक्ट राजगढ -अलवर	क्रम 12 वर्तमान पदस्थापन राउमावि पायरा उदयपुर के स्थान पर संशोधित
6	कालू राम मीणा	व्याख्याता-इतिहास राउमावि पायरा उदयपुर	क्रम 13 स्थानान्तरित स्थान राउमावि पायरा उदयपुर संशोधित

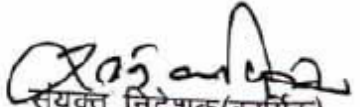
आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी। सम्बन्धित तत्काल पालना करावें।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण-संशोधन/इतिहास-वाणिज्य/2019-20 दिनांक-3/10/19

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा,
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-मा शिक्षा /मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 5 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।
- 6 संबन्धित संस्था/शाला/प्रधानाचार्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 अनुभाग अधिकारी-सी-8/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय का पता- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
PH- 0151-2522238

E Mail- so.csection@gmail.com
web site- education.rajasthan.gov.in/ secondary

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

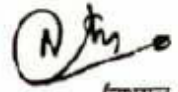
राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण/ संशोधन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास/2019-20

दिनांक- 29.9.19

क्रम	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	subject	कहां से राउमावि/राबाउमावि	जिला	कहां को राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	ममता जैन	history	सुमेल बस्ती जयपुर में स्थानान्तरणाधीन	jaipur	माणक चौक	jaipur
2	जिज्ञासा	history	माणक चौक	jaipur	सुमेल- बस्ती	jaipur

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीबीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/ निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जायें। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जायें।



(नथमल डिजेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 29.9.19

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास/2019-20

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देयें।
- सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जायें।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- सम्बन्धित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

